संख्याः 6237 /I/2005-05/71/05

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
इरला चैक अनुभाग,
उत्तरांचल शासन।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में ऊर्जा विकास निधि हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 6117/I/2005-05/71/05 दिनांक 27.12.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि के प्रशासन समिति को उपलब्ध कराये जाने हेतु निधि की धनराशि को उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 से प्राप्त कर राजकोष में जमा करने के उपरान्त ऊर्जा विकास निधि शुल्क एवं राजस्व के रूप में प्राप्त धनराशि रु0 10,03,83,057.00 (रू0 दस करोड़ तीन लाख तिरासी हजार सत्तावन मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुये आहरण की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1– यह धनराशि उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 में वर्णित उद्देश्यों के प्रयोजन हेतु आहरित कर उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि के पी0एल0ए0 खाते में जमा करायी जायेगी।

2– पी0एल0ए0 खाते का संचालन शासन द्वारा प्राधिकृत ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव/अपर सचिव द्वारा किया जायेगा तथा पी0एल0ए0 से धनराशि का आहरण निधि के प्रशासन हेतु गठित प्रशासन समिति की संस्तुति प्राप्त कर शासन में यथोचित स्तर पर पूर्व स्वीकृति उपरान्त उक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर चैक के माध्यम से संबंधित याचक विभाग को अवमुक्त किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय समस्त वित्तीय/प्रशासनिक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

...2

D:\Documents and Settings\...\Amabhag G.O..doc

5– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल बनाकर देहरादून कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे देहरादून कोषागार में खुले पी0एल0ए0 खाते में पुस्तक समायोजन से जमा किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–जल विद्युत उत्पादन –आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्रों के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश–05–ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन–00–30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 156/XXVII(2)/2005, दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः 6237 /I/2005-05/71/05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–2,
4– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मंख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5– अपर निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञानार्थ।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7– ऊर्जा सैल, उत्तरांचल शासन।
8– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– बीजक हेतु (दो प्रति)।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव